

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

सं. No- सी 1075 / 37-जी-9

दूरभाष Telephone : 0135-656402

फैक्स Fax : 0135-656402 (Direct.)

ई-मेल E Mail :

ukgdc.ddn soi@gov.in



उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उ० प्र० भू-स्थानिक
ऑकड़ा केन्द्र का कार्यालय
17, ईस्ट कैनाल रोड, पत्र पेटी संख्या 122
देहरादून - 248001

17, E. C. Road, Post Box No. 122
DEHRA DUN - 248001

तारीख Dated: 6 फरवरी, 2015

उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ० प्र० भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र का नेमी आदेश
संख्या- 01 / 37-जी-9 दिनांक 6-2-2015

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-11 एवं डिविजन-1 (डिव०-11 से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकि अनुभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में गुप 'सी' स्थापना में डिविजन-11 एवं डिविजन-1 (डिव०-11 से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारी के नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.बी.2 रु 9300-34800+4800 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1	श्रीमती तजेन्दर पाल कौर	मानचित्रकार डिविजन-1	01.01.2014

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।
सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- 125/1902-एस.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश जी०डी०सी०) दिनांक 06.01.2015

2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-11 एवं डिविजन-1 (डिव०-11 से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकि अनुभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में गुप 'सी' स्थापना में डिविजन-11 एवं डिविजन-1 (डिव०-11 से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारी के नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.बी.2 रु 9300-34800+4600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	एम0ए0सी0पी0 के लाम की तिथि
1	श्री कुँवर सिंह नेगी	सर्वेक्षण सहायक	01.01.2012

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।
सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी-130/1902-एस.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश जी0डी0सी0) दिनांक 06.01.2015

3. एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत अधिकारी सर्वेक्षकों को तृतीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकि अनुभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों (अधिकारी सर्वेक्षकों) को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.बी.3 रु 15,600-39,100+ 7600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मकारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाम स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	एम0ए0सी0पी0 के लाम की तिथि
1	श्री एच. के. गुलाटी (सेवानिवृत्त)	अधिकारी सर्वेक्षक	01.01.2010
2	श्री एन. के. डोमाल (सेवानिवृत्त)	अधिकारी सर्वेक्षक	01.09.2008
3	श्री आर. के. चौहान (सेवानिवृत्त)	अधिकारी सर्वेक्षक	01.09.2008
4	श्री कुलवन्त सिंह	अधिकारी सर्वेक्षक	01.10.2010

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर अधिकारियों को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

4. एम0ए0सी0पी. योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान दिया जाना इस तथ्य के अधीन होगा कि किसी कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त लाम स्वीकृत किये जाते समय, बाद में रिक्ति हो जाने पर, नियमित पदोन्नति के लिए अपनी अगई स्वीकृति दे दी गयी मानी जायेगी।

सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- 575/1902-MACP-III (OS) दिनांक 30.01.2015

4. स्थानान्तरण पर गये:-

इस केन्द्र से निम्नलिखित कर्मचारी स्थानान्तरण पर गये :-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	दिनांक	किस कार्यालय में स्थानान्तरित हुए	टिप्पणीयां
1	श्री रोजश्वर प्रसाद, मानचित्रकार ग्रेड-11	15.12.2014	निदेशक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र संख्या सी-7612/1800 दिनांक 09.12.2014

2. सेवानिवृत्त :- इस केन्द्र निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्त हुई:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्त होने की तिथि
1	श्री डी0पी0 सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक	30.11.2014
2	श्री मनी राम, दफादार	30.11.2014
3	श्री चन्दन सिंह रावत, मानचित्रकार डिव0-1	31.12.2014
4	श्री आशा राम, दफादार	31.01.2015
5	श्रीमती विमला देवी, खलासी	31.01.2015
6	श्री मोहन सिंह, तकनीकी श्रमिक	31.01.2015

(ओ. पी. त्रिपाठी)
निदेशक

वितरण:-

- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
- अपर महासर्वेक्षक :- पूर्वी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र/ भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान।
- अपर महासर्वेक्षक/निदेशक :- पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ मू.आं.के./जम्मू व कश्मीर मू.आं.के./हि.प्र. मू.आं.के./आसाम व नागालैण्ड मू.आं.के./मेघालय व अरुणाचल प्रदेश मू.आं.के./त्रिपुरा, मणीपुर व मिजोरम मू.आं.के./बिहार मू.आं.के./ पश्चिम बंगाल एवं सिक्कीम मू.आं.के./ तमिलनाडु और पांडिचेरी और अण्डमान व निकोबार मू.आं.के./उड़ीसा मू.आं.के./झारखण्ड मू.आं.के./छत्तीसगढ़ मू.आं.के./गुजरात व दमन व दिऊ मू.आं.के./महाराष्ट्र एवं गोआ मू.आं.के./कर्नाटक मू.आं.के./केरल व लक्षद्वीप मू.आं.के./ सर्वे (हवाई) व दिल्ली मू.आं.के./ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय/ मानचित्र अभिलेख एवं प्रचार केन्द्र/ उत्तरी मुद्रण वर्ग/ पूर्वी मुद्रण वर्ग/ मध्य प्रदेश जी.डी.सी./ राजस्थान जी.डी.सी./ पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी./ आन्ध्र प्रदेश जी.डी.सी./ पश्चिमी मुद्रण वर्ग/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग/ भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर सम्बन्धन निदेशालय/ राष्ट्रीय जी.डी.सी./ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा देहरादून/ अंकीय मानचित्रण केन्द्र देहरादून।
- केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, देहरादून।
- प्रभारी, मसूरी विंग/प्रभारी, विंग 1/प्रभारी, विंग 2/प्रभारी, विंग 3
- स्थापना एवं लेखा अधिकारी/तकनीकी अधिकारी/हिन्दी अनुभाग/सहायक मण्डार अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक (प्रशासन)/कार्यालय अधीक्षक (लेखा)/वाहन अधीक्षक/संवीक्षा अनुभाग/सुरक्षा पर्यवेक्षक।
- प्रतिलिपि:- फाईल सं. 14-सी-1 (एम.ए.सी.पी.)/14-सी-1 (अधिकारी) / 8-बी-2/ गार्ड फाईल।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

सं. No-सी 2063/37-जी-9

दूरभाष Telephone : 0135-656402

फैक्स Fax : 0135-656402 (Direct.)

ई-मेल E Mail :

ukgdc.ddn.soi@gov.in



उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उ० प्र० भू-स्थानिक
ऑकड़ा केन्द्र का कार्यालय

17, ईस्ट कैनाल रोड, पत्र पेटी संख्या 122

देहरादून - 248001

17, E. C. Road, Post Box No. 122

DEHRA DUN - 248001

तारीख Dated: 17 फरवरी 2015

उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ० प्र० भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र का नेमी आदेश
संख्या- 02/37-जी-9 दिनांक 17-3-2015

1. एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत अधिकारी सर्वेक्षकों को द्वितीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकि अनुभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों (अधिकारी सर्वेक्षकों) को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.बी. रु 9300-34,800+ 4800 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मकारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	एम0ए0सी0पी0 के लाभ की तिथि
1	श्री सरोज कुमार (सेवानिवृत्त)	अधिकारी सर्वेक्षक	01.09.2008
2	श्री ऐ०के० बहुखण्डी	अधिकारी सर्वेक्षक	01.07.2014
3	श्री राकेश कुमार	अधिकारी सर्वेक्षक	01.01.2012
4	श्री हरि सिंह	अधिकारी सर्वेक्षक	01.10.2012
5	श्री एस.के. नौटियाल	अधिकारी सर्वेक्षक	01.09.2008

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर अधिकारियों को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

4. एम0ए0सी0पी. योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान दिया जाना इस तथ्य के अधीन होगा कि किसी कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त लाभ स्वीकृत किये जाते समय, बाद में सिंचित हो जाने पर, नियमित पदोन्नति के लिए अपनी अनर्ह स्वीकृति दे दी गयी मानी जायेगी।

सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- 968/1902-MACP-II (Sur./OS)
दिनांक 18.02.2015

भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-11 एवं डिविजन-1 (डिव0-11 से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकि अनुभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में गुप 'सी' स्थापना में डिविजन-11 एवं डिविजन-1 (डिव0-11 से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारी के नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.बी.2 रु 9300-34800+4800 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	एम0ए0सी0पी0 के लाभ की तिथि
1	श्री आर. के. अग्रवाल	मानचित्रकार डिविजन-1	01.01.2015

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

संनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- 1070/1902-एस.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं परिवहन उत्तर प्रदेश जी0डी0सी0) दिनांक 19.02.2015

3. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारी को द्वितीय एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकि अनुभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग में गुप 'सी' स्थापना में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त हुए थे तथा वर्तमान में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत है। उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.बी.-1 रु 5,200-20,200+2800 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	द्वितीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री दीपक कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	08.11.2014

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक (लेखा) द्वारा किया जायेगा।

सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सी- 1075/1902-एस.ए.सी.पी. (मिनिस्ट्रीयल II) दिनांक 19.02.2015

4. मोटर ड्राइवर-कम-मैकेनिक साधारण ग्रेड से मोटर ड्राइवर-कम-मैकेनिक ग्रेड-11 के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

मोटर ड्राइवर-कम-मैकेनिक साधारण ग्रेड को मोटर ड्राइवर-कम-मैकेनिक ग्रेड-11 के पद पर वेतनमान बैंड-1 रू0 5200-20,200+2400 ग्रेड वेतनमान में नियमित आधार पर निम्नलिखित पदोन्नत के आदेश दिये जाते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदोन्नत पद की तिथि
1	श्री संदीप कुमार	मोटर ड्राइवर-कम-मैकेनिक ग्रेड-11	26.02.2015

उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नये वेतनमान में वेतन नियत के लिए एफ.आर.22 (1) (क) (1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा।

2. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक (लेखा) द्वारा किया जायेगा।

सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सी- 1043/1077- (ग्रेड-11) दिनांक 19.02.2015

5. एम.ए.सी.पी. के तहत ग्रुप 'सी' (पूर्वकालीन ग्रुप 'डी') कर्मचारियों को तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करना।

इस कार्यालय के ग्रुप 'सी' (पूर्व ग्रुप 'डी') कर्मचारियों के नाम के सामने दिखाये गये विवरणानुसार पीबी.1 (रूपये 5200-20200) में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम प पदनाम	वित्तीय उन्नयन	वित्तीय उन्नयन पर ग्रेड वेतन	वित्तीय उन्नयन के लाभ की तिथि
1	श्री राजेन्द्र सिंह, दफ्तरी (सेवानिवृत्त)	तृतीय	रूपये 2400 /-	04.11.2012

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (ए) (1) के तहत एक माह के अन्दर विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक (लेखा) द्वारा किया जायेगा।

सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015-16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार:- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ का पत्र सं. सी- 36/14-सी-1 (डी.एस.सी.) (एम.ए.सी.पी.) दिनांक 13.02.2015

6. स्थानान्तरण पर आये:-

इस केन्द्र में निम्नलिखित कर्मचारी स्थानान्तरण पर उपस्थित हुए :-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	किस कार्यालय से स्थानान्तरित हुए	स्थानान्तरण की दिनांक	टिप्पणीयाँ
1	श्री खुशहाल मणी, कार्यालय अधीक्षक	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय	23.02.2015	भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. एल-900/1095-स्था0 दिनांक 20.02.2015

वितरण:-

- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनाार्थ।
- अपर महासर्वेक्षक :- पूर्वी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र/ भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान।
- अपर महासर्वेक्षक /निदेशक :- पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ मू.आं.के./जम्मू व कश्मीर मू.आं.के./हि.प्र. मू.आं.के./आसाम व नागालैण्ड मू.आं.के./मेघालय व अरुणाचल प्रदेश मू.आं.के./त्रिपुरा, मणीपुर व मिजोरम मू.आं.के./बिहार मू.आं.के./ पश्चिम बंगाल, एवं सिक्कीम मू.आं.के. / तमिलनाडु और पांडिचेरी और अण्डमान व निकोबार मू.आं.के./उड़ीसा मू.आं.के./झारखण्ड मू.आं.के./छत्तीसगढ़ मू.आं.के./ गुजरात व दमन व दिऊ मू.आं.के./ महाराष्ट्र एवं गोआ मू.आं.के./कर्नाटक मू.आं.के./केरल व लक्षद्वीप मू.आं.के./ सर्वे (हवाई) व दिल्ली मू.आं.के./ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय/ मानचित्र अभिलेख एवं प्रचार केन्द्र/ उत्तरी मुद्रण वर्ग/ पूर्वी मुद्रण वर्ग / मध्य प्रदेश जी.डी.सी./ राजस्थान जी.डी.सी./ पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी./ आन्ध्र प्रदेश जी.डी.सी./ पश्चिमी मुद्रण वर्ग/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग/ भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर सम्वेदन निदेशालय/ राष्ट्रीय जी.डी.सी./ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा देहरादून/ अंकीय मानचित्रण केन्द्र देहरादून।
- केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, देहरादून।
- प्रभारी, मसूरी विंग/प्रभारी, विंग 1/प्रभारी, विंग 2/प्रभारी, विंग 3
- स्थापना एवं लेखा अधिकारी/तुर्कनीकी अधिकारी/हिन्दी अनुभाग/सहायक मण्डार अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक (प्रशासन)/कार्यालय अधीक्षक (लेखा)/वाहन अधीक्षक/संबीक्षा अनुभाग/सुरक्षा पर्यवेक्षक।
- प्रतिलिपि:- फाईल सं. 14-सी-1 (एम.ए.सी.पी.)/14-सी-1 (अधिकारी) /8-बी-2/ गार्ड फाईल।

(ओ० पी० त्रिपाठी)
निदेशक